<u>डीजीपी (पुलिस प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल अधिकारियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश</u>

i. पैनल समिति की संरचना

राज्य सरकार में डीजीपी (पुलिस प्रमुख) की नियुक्ति हेतु पैनल अधिकरियों के लिए गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष।
ii. गृह सचिव, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति जो विशेष सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम ना हों।
iii. संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव
iv. संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक।
v. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नामांकित सीपीओ /सीपीएमएफ प्रमुख में से एक अधिकारी जो उस संवर्ग से संबंधित न हों जिसके लिए चयन की जा रही है।

अध्यक्ष या आयोग सदस्य समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। समिति की कार्यवाही तभी मान्य होगी जब अध्यक्ष या आयोग सदस्य बैठक में उपस्थित हो तथा समिति के सदस्यों में से आधे से अधिक ने भाग लिया हो।

2. विचारार्थ क्षेत्र

संबंधित कैडर के भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारी जो एडीजी के पद से कम नहीं हैं और जिन्होंने रिक्ति, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है, होने की तारीख को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी कर ली है। हालांकि, जहां पुलिस प्रमुख डीजी के रैंक में नहीं है, पुलिस प्रमुख के रैंक के अधिकारी और एक रैंक से नीचे के अधिकारी जिन्होंने कम से कम,रिक्ति होने की तारीख को रैंक पर पदोन्नति के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सेवा के वर्षों की संख्या पूरी कर ली है, पात्र होंगे।

3. पैनल बनाने से संबंधित चयन पद्धति

(i) चयन योग्यता के आधार पर होगा,

(ii) पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्णय बहुत अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा।

4. पैनल का आकार

पैनल में शामिल अधिकारियों की संख्या पुलिस प्रमुख रैंक में राज्य के लिए संस्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या का दुगना या तीन, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

5. **आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव**

राज्य सरकार, रिक्ति होने से कम से कम तीन महीने पहले, सभी तरह से पूर्ण, पैनल समिति की बैठक बुलाने के लिए आयोग को एक प्रस्ताव भेजेगी।

प्रस्ताव निम्नलिखित रिकॉर्डों के साथ भेजा जाएगा:

(i) विधिवत अधिसूचित अधिकारियों की वरिष्ठता सूची ।

(ii) पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों की सूची। यदि वरिष्ठता सूची में आने वाले कुछ अधिकारियों को इस पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तो तत्संबंधी कारण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले अधिकारीयों के जीवन-वृत्त में उनके द्वारा धारित पद, निष्पादित कार्यों की प्रकृति, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों आदि का उल्लेख हो।

(iv) अधिकारियों को जारी आरोप पत्र की तारीख के साथ अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही, न्यायालय में दर्ज आरोप पत्र का विवरण तथा निलंबन का विवरण, यदि कोई हो।

(v) अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों का विवरण जो अभी तक संप्रेषित / संप्रेषित नहीं किया गया है, लेकिन या तो अभ्यावेदन करने की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है या अधिकारी के अभ्यावेदन पर निर्णय लंबित है।

(vi) वैद्धता अवधि में अधिकारी के सेवा कैरियर में उस पर लगाए गए दंड का विवरण, यदि कोई हो।

(vii) पात्र अधिकारियों के पूर्ण और अद्यतन ए सी आर डोजियर । ए सी आर की वर्षवार उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण, ए सी आर की अनुपलब्धता, यदि कोई हो, के वैध कारण के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कुछ एसीआर की समीक्षा नहीं की जाती है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो तत्संबंधी वैध कारण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। [इस आशय का प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और संबंधित एसीआर फ़ोल्डर में रखा जाना चाहिए]।यदि कुछ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए हैं, तो राज्य सरकार के प्रधान सचिव के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(viii) न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हों, जिनका पैनल में शामिल होने पर प्रभाव पड़ता है|

(ix) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 14/23/65-अ.भा.से.(III) दिनांक 28/07/1966 द्वारा निर्धारित अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

6. **पैनल समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया**

6.1 प्रत्येक समिति विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपनी स्वयं की पद्धति और प्रक्रिया अपनाएगी।समिति की बैठक की तारीख से पहले के पिछले 10 वर्षों के संदर्भ में अधिकारियों के एसीआर का आकलन समिति करेगी।समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक के लिए कम से कम "बहुत अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किए गए केवल उन अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। समिति पैनल में शामिल करने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों के बायोडाटा में परिलक्षित पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए प्रासंगिक अनुभव की सीमा को भी ध्यान में रखेगी।

6.2 समिति अधिकारी पर लगाए गए दंड, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी और पैनल से किसी ऐसे अधिकारी को बाहर कर देगी जो निलंबन के अधीन है या जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक / आपराधिक कार्यवाही लंबित है या जिसका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है या जो पिछले 10 वर्षों के दौरान परिनिंदा के अलावा अन्य दंड या पिछले तीन वर्षों के दौरान दंड या परिनिंदा के तहत रहा है।

7. **पैनल से नियुक्ति**

(i) डीजीपी (पुलिस प्रमुख) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से की जाएगी।

(ii) यदि पैनल में शामिल किसी अधिकारी के खिलाफ उनकी नियुक्ति से पहले सतर्कता या विभागीय जांच शुरू की गई है, तो उसे डीजीपी (पुलिस प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।